न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—78/2015 रे.वाद

अन्तर्गत धारा :—88, 188 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. नंगजीराम पिता खुमाजी नायक आयु 80 वर्ष निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के मृतक के बजाय :—
   1/1 श्यामलाल पिता नंगजीराम नायक,
   1/2 मुकेश पिता नंगजीराम नायक,
   1/3 राजकुमार पिता नंगजीराम नायक,
   1/4 संतोकी पुत्री नंगजीराम नायक,
   1/5 भगवती उर्फ सकुडी पुत्री नंगजीराम नायक,
   1/6 मंजु पुत्री नंगजीराम नायक,
   1/7 मीना पुत्री नंगजीराम नायक,
   1/8 गंगा बाई बेवा नंगजीराम नायक,
   1/9 नारायण पिता रोशन नायक,
   1/10 देवीलाल पिता रोशन नायक,,
   1/11 रेखा पुत्री रोशन नायक,
   1/12 बेनी पुत्री रोशन नायक,
   1/13 कमला पत्नी रोशन नायक,

सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——वादीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता लालु नायक वर्ष निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के मृतक के बजाय :—
   1/1 मदन पिता भैरूलाल नायक,
   1/2 कमला पुत्री भैरूलाल नायक,
   1/3 नन्दु देवी पुत्री भैरूलाल नायक,
   1/4 मन्जुदेवी पुत्री भैरूलाल नायक,
   1/5 सोहनी बेवा भैरूलाल नायक,
2. केशी पुत्री लालु नायक,
3. गीता पुत्री लालु नायक,
4. जमनी पुत्री लालु नायक,
5. प्रकाश पिता शान्तिलाल नायक,
6. चान्दी पुत्री शान्तिलाल नायक,

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

(उपखण्ड अधिकारी)

हस्ताक्षर वकील

लिया मन विश्वास कर लिया है।
ता. माह सन्

7. कंकु पुत्री शान्तिलाल नायक,
8. पारसी पुत्री शान्तिलाल नायक,
9. शम्भुलाल पिता कासु नायक,
10. गणेश पिता कासु नायक,
11. रूकमण पुत्री कासु नायक,
12. सोसर विधवा कासु नायक,
13. मुकेश पिता मूलचन्द नायक,
14. बालुलाल पिता मूलचन्द नायक,
15. प्रेमी पुत्री मूलचन्द नायक,
16. कैलाशी पुत्री मूलचन्द नायक,

सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा।
18. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट ऑफिसर, आर.सी. व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा।

सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

---प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.</u>

निर्णय दिनांक 25.02.2019

वाद पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी श्री नगजीराम पिता खुमा नायक निवासी गंगापुर द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम सहाड़ा के हाल आराजी सख्या 6017 रकबा 0.12 हे0 6020 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.34 हे0 स्थित होकर जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 मे खातेदार के नाम दर्ज रेकॉर्ड है।

ग्राम सहाड़ा के हाल आराजी सख्या 6017 रकबा 0.12 हे0 6020 रकबा 0.22 हे0 के साबिक आराजी नम्बर 2408मी0 रकबा 1बीघा 12 बिस्वा है। जिसमे बन्दोबस्त के पूर्व 2408/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा हैं। साबिक आराजी नम्बर 2408/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा तत्समय के खातेदार लालु व कासु के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी। जिसे वादी ने आराजी संख्या 2408/1 रकबा 1बीघा 12 बिस्वा मे से 15/10 हिस्सा 1बीघा 10 बिस्वा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.08.1975 से क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया तब से ही मौके पर वादी हैसियत खातेदार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता आ रहा हैं। जिसमें तत्कालीन खातेदार लालु व कासु का किसी प्रकार का कोई दखल नही रहा है। खातेदार अपना हिस्सा वादी को विक्रय कर चुके है। वादी का मौके पर उक्त भूमि पर 40

सहायक कले
(उपखण्ड अधिक

...पत्र देन वाला/ वाले वही व्यक्ति है जिसके लिये मैंने विश्वास कर लिया है।
ता. माह सन्

हस्ताक्षर वकील

वर्षो से निरन्तर निर्विघ्न आधिपत्य चला आ रहा हैं। वादी के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र नामान्तरकरण के लिए पटवारी हल्का को दिया लेकिन नामान्तरणकरण नही खुला तथा उक्त क्रय शुदा भूमि लालू व कासू के नाम ही रह गई। लालू के निधन के बाद उसके वारिस भैरूलाल केशी गीता जमनी व शान्तिलाल, शान्तिलाल का निधन होने से उसके वारिस प्रकाश चान्दी कंकु पारसी है जो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 है जिसके नाम उक्त भूमि गलत दर्ज रह गई, जबकि प्रतिवादीगण के पूर्वज पंजीकृत विक्रयपत्र से उक्त भूमि विक्रय कर चुके व वादी को खाते में वर्णित आराजियात में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाना आवश्यक है तथा उक्त भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 0.0050हे0 भूमि अवाप्त की जा रही है जिसका प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकारी वादी हैं प्रतिवादीगण का कोई हित नही है। वादी ने वाद पत्र में यह भी अंकित किया हैं कि वर्णित आराजियात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के नाम गलत दर्ज हो जाने से उक्त भूमि अन्य को विक्रय व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं। वाद कारण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 16.12.2014 से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

वादी ने वाद पत्र में रिलीफ चाही हैं कि ग्राम सहाड़ा के आराजी नम्बर 6017 रकबा 0.12 हे0 व 6020 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.34 हे0 भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 का नाम हटाया जावे तद्नुसार डिक्री जारी फरमायी जावें। वादी ने यह भी रिलीफ चाही है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाई जावे कि उक्त वर्णित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08, वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा न करें न अन्य को विक्रय करे व वादी का आधिपत्य हटावें। आराजी संख्या 6017 का प्रतिकर वादी को अदा करे अन्य को प्रतिकर अदा नही करें।

प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 29.06.2015 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। पैरोकार सरकार द्वारा वाद पत्र में जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब के सारांश अनुसार प्रकरण वाद में रजिस्टर्ड शुदा विकाव भूमि क्रय की है, क्रेता हकदार हैं।

प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु हो जाने से प्रा0 पत्र O-22 R-4 C.P.C. का प्रस्तुत हुआ। जिसे स्वीकार किया जाकर कायम मुकाम के अनुसार संशोधित टाइटल रेकार्ड पर लिये गये। इसी तरह वादी की भी मृत्यु हो जाने से प्रार्थना पत्र O-22 R-3 C.P.C. का प्रस्तुत होने पर स्वीकार किया जाकर उसके विधिक वारिसान रेकार्ड पर लिये गये। प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 16 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

वादीगण की साक्ष्य में राजकुमार पिता नगजीराम नायक निवासी गंगापुर श्यामलाल पिता सोहनलाल भील निवासी सहाड़ा चौराया व मनीष औझा पिता चन्द्रप्रकाश औझा निवासी गंगापुर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये व दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सहाड़ा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

हस्ताक्षर वकील ता. माह सन्

की जमाबन्दी संख्या 2071 से 2074 व 2067 से 2070 प्रदर्श– I, ग्राम सहाड़ा की जमाबन्दी 2030 से 2033 प्रदर्श – II, नक्शा प्रदर्श – III, विक्रय पत्र प्रदर्श – IV व मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श – V हैं।

वादीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र एवं प्रदर्श कराये गये दस्तावेज में अंकित तथ्यो को दोहराया।

मैन पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर गहनता से मनन किया।

ग्राम सहाड़ा के आराजी नम्बर 6017 रकबा 0.12 है0 6022 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 रकबा 0.34 है0 भूमि लालू पिता लक्ष्मण नायक निवासी गंगापुर के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 में दर्ज होकर विरासत से लालू पिता लक्ष्मण फौत के बजाय भैरूलाल केशी गीता जमनी पिता लालू 4/5 व प्रकाश चांदी कंकु पारसी पिता शान्तिलाल 1/5 के नाम दर्ज रेकार्ड होना पाया जाता हैं।

ग्राम सहाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033 के अनुसार लालू कासू पिता लक्ष्मण नायक सा. गंगापुर के नाम आराजी नम्बर 2408/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि अन्य भूमि के साथ दर्ज रेकार्ड होने की पुष्टि होती हैं।

प्रदर्श – V मिलान क्षैत्रफल के अनुसार ग्राम सहाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2408मी. रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के हाल नम्बर 6017 रकबा 0.12 है0, 6020 रकबा 0.22 है0 होने की पुष्टि होती हैं।

प्रदर्श –IV विक्रय पत्र के अनुसार लालू कासू पिता लक्ष्मण नायक द्वारा ग्राम सहाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2408/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि दिनांक 25.08. 1975 को श्री नगजीराम पिता खुमा नायक सा. गंगापुर को विक्रय करने की पुष्टि होती हैं। वादीगण की साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र PW I राजकुमार पिता नगजीराम नायक निवासी गंगापुर, श्यामलाल पिता सोहनलाल निवासी सहाड़ा चौराया गंगापुर का प्रस्तुत शपथ पत्र PW II एवं मनीष औझा पिता चन्द्रप्रकाश औझा निवासी गंगापुर का प्रस्तुत शपथ पत्र PW III के अनुसार ग्राम सहाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2408/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के तत्समय खातेदार लालु व कासु के नाम दर्ज रेकार्ड भूमि को वादीगण के पूर्वज नगजीराम नायक को आराजी नम्बर 2408/1 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा भूमि पंजिकृत विक्रय पत्र से विक्रय करने की पुष्टि होती है। तथा वर्तमान में वादीगण के पूर्वज नगजीराम नायक (क्रेता) एवं नगजीराम नायक के निधन के बाद वादीगण के अधिकार व कब्जे काश्त में उक्त वर्णित भूमि रहने की पुष्टि होती हैं।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज

... व्यक्ति है जिसके
लिये मैने विश्वास कर लिया है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 R.T.A. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। अतः आदेश दिये जाते हैं कि –

–:: आदेश ::–

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 R.T.A. का स्वीकार किया जाकर वादीगण को ग्राम सहाड़ा के आराजी नम्बर 6017 रकबा 0.12 है0 6022 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 रकबा 0.34 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं व डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी गण 1 लगायत 16 इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण के नाम ग्राम सहाड़ा के आराजी नम्बर 6017 रकबा 0.12 है0 6022 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 रकबा 0.34 है0 भूमि बतौर खातेदार हक से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा ग्राम सहाड़ा की वर्तमान जमाबन्दी से प्रतिवादीगण 1 लगायत 16 के नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किये जावे। तहसीलदार सहाड़ा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद सुनिश्चित करें। वादीगण ने वाद पत्र में 188 में तहत भी रिलीफ चाही हैं, अतः वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी गण 1 लगायत 16 ग्राम सहाड़ा के आराजी नम्बर 6017 रकबा 0.12 है0 6022 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 रकबा 0.34 है0 भूमि में स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण उक्त वर्णित आराजीयात को वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करें न अन्य को विक्रय करे व न ही वादीगण का आधिपत्य हटावें। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेंरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

मूलवाद में डिकी

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–78/2015 रे.वाद

अन्तर्गत धारा :–88, 188 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

1. नंगजीराम पिता खुमाजी नायक आयु 80 वर्ष निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के मृतक के बजाय :–
   1/1 श्यामलाल पिता नंगजीराम नायक,
   1/2 मुकेश पिता नंगजीराम नायक,
   1/3 राजकुमार पिता नंगजीराम नायक,
   1/4 संतोकी पुत्री नंगजीराम नायक,
   1/5 भगवती उर्फ सकुडी पुत्री नंगजीराम नायक,
   1/6 मंजु पुत्री नंगजीराम नायक,
   1/7 मीना पुत्री नंगजीराम नायक,
   1/8 गंगा बाई बेवा नंगजीराम नायक,
   1/9 नारायण पिता रोशन नायक,
   1/10 देवीलाल पिता रोशन नायक,,
   1/11 रेखा पुत्री रोशन नायक,
   1/12 बेनी पुत्री रोशन नायक,
   1/13 कमला पत्नी रोशन नायक,

सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——वादीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता लालु नायक वर्ष निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के मृतक के बजाय :–
   1/1 मदन पिता भैरूलाल नायक,
   1/2 कमला पुत्री भैरूलाल नायक,
   1/3 नन्दु देवी पुत्री भैरूलाल नायक,
   1/4 मन्जुदेवी पुत्री भैरूलाल नायक,
   1/5 सोहनी बेवा भैरूलाल नायक,
2. केशी पुत्री लालु नायक,
3. गीता पुत्री लालु नायक,
4. जमनी पुत्री लालु नायक,
5. प्रकाश पिता शान्तिलाल नायक,
6. चान्दी पुत्री शान्तिलाल नायक,
7. कंकु पुत्री शान्तिलाल नायक,
8. पारसी पुत्री शान्तिलाल नायक,
9. शम्भुलाल पिता कासु नायक,

01

सहायक कलक्टर

आधेकार पत्र देने वाला/ वाले वेही व्यक्ति है जिसके लिये मैने विश्वास कर लिया है।

हस्ताक्षर वकील

10. गणेश पिता कासु नायक,
11. रूकमण पुत्री कासु नायक,
12. सोसर विधवा कासु नायक,
13. मुकेश पिता मूलचन्द नायक,
14. बालुलाल पिता मूलचन्द नायक,
15. प्रेमी पुत्री मूलचन्द नायक,
16. कैलाशी पुत्री मूलचन्द नायक,

सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा।
18. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट ऑफिसर, आर.सी. व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा।

सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रतिवादीगण

दिनांकः— 25 / 02 / 2019

वादीगण की और से अधिवक्ता श्री महेश दाधीच, प्रतिवादी संख्या 18 की और से अधिवक्ता दिनेश बापना उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :—

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—188 R.T.A. का स्वीकार किया जाकर वादीगण को ग्राम सहाड़ा के आराजी नम्बर 6017 रकबा 0.12 है0 6022 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 रकबा 0.34 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं व डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी गण 1 लगायत 16 इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण के नाम ग्राम सहाड़ा के आराजी नम्बर 6017 रकबा 0.12 है0 6022 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 रकबा 0.34 है0 भूमि बतौर खातेदार हक से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा ग्राम सहाड़ा की वर्तमान जमाबन्दी से प्रतिवादीगण 1 लगायत 16 के नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किये जावे। तहसीलदार सहाड़ा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद सुनिश्चित करें। वादीगण ने वाद पत्र में 188 में तहत भी रिलीफ चाही हैं, अतः वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 16 ग्राम सहाड़ा के आराजी नम्बर 6017 रकबा 0.12 है0 6022 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 रकबा 0.34 है0 भूमि में स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण उक्त वर्णित आराजीयात को वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करें न अन्य को विक्रय करे व न ही वादीगण का आधिपत्य हटावें।

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

डिक्री आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

... पहचानता अथवा अधिकार पत्र देने वाला / वाले वेही व्यक्ति है जिसके लिये मैने विश्वास कर लिया है।